न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील रांख्याः—253/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/253)

1. मंदिर श्री गोपाल जी गोकुल जी जरिए पुजारी जगदीश प्रसाद पुत्र श्री नानूदास जाति साधु वैष्णव निवासी वलवन्ता तहसील, जिला अजमेर।

अपीलांट

वनाम

1. रामलाल पुत्र देवाराम
2. इंद्रा पुत्री देवाराम
3. श्रीमती जीवणी पत्नी देवाराम
4. रतनी पुत्री देवाराम
5. सोनी पुत्री देवाराम नावालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती जीवणी पत्नी देवाराम
   समस्त जाति गुर्जर निवासी वलवन्ता तहसील, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ,अजमेर
7. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव।
8. कन्हैयालाल पुत्र श्री छोटू
9. केसर पुत्री श्री छोटू
10. गुमान पुत्र श्री अम्बालाल
11. गीता पत्नी श्री अम्बालाल
12. जमना पुत्री श्री छोटू
13. धापू पुत्री श्री छोटू
14. नाथूलाल पुत्र श्री हीरालाल
15. निम्नाराम पुत्र श्री हीरालाल
16. प्रहलाद पुत्र श्री अम्बालाल
17. पारसी पुत्र श्री उंकारलाल
18. भंवरी पुत्री श्री छोटू
19. भागचंद पुत्र छोटू
20. भारत पुत्र श्री अम्बालाल
21. रोशी पत्नी उंकारलाल
22. रामदेव पुत्र छोटू
23. सत्यनारायण पुत्र छोटू
24. सरोज पुत्री उंकारलाल
25. सीमा पुत्री श्री अम्बालाल
    रामस्त जाति भागी निवासी ग्राम वलवन्ता तहसील व जिला अजमेर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध आदेश दिनांक 29.10.2021 राजस्व वाद संख्या 11/2019

उपस्थितः–

1. श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हरिसिंह गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 06
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5, 8 से 12 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–02.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के प्रकरण संख्या 11/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोडेंटस के प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। वाद तामिल एवं जवाब तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के पश्चात उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने बहस सुनकर दिनांक 29.10.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 29.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये जाकर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5, 8 से 12 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ने खसरा नम्बर 1342, 1343, 1344, 1345, की भूमि प्रार्थी की व्यक्तिगत खातेदारी की न होकर मंदिर मूर्ति की खातेदारी होना मानकर रास्ता नहीं देने का जो आदेश पारित किया है वह पूर्णतया अविधिक है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग हैं तथा मंदिर मूर्ति की तरफ से उसके पुजारी को पूरा अधिकार है कि वह मंदिर मूर्ति की भूमि पर काश्त करे व उसके हितों बाबत किसी भी न्यायालय में उसकी तरफ से कार्यवाही करे। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी मंदिर मूर्ति के वंशानुगत पुजारी है तथा पुजारी की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी मंदिर मूर्ति ने आराजी खसरा नम्बर 1328 के खातेदार छोटू पुत्र लाला के वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुर्तिब किया है जो स्वयं के आदेश दिनांक 29.10.2021 में अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 25 है। इसके बावजूद भी पक्षकार संयोजित नहीं करना अंकित कर जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अपीलांट मंदिर मूर्ति द्वारा चाहे गए रास्ते में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होने व उसमें भविष्य में कोई टाउनशिप लाई जाने से रास्ता बाधित कर सकता है की अवधारणा लेकर आदेश पारित करने में कानूनी एंव वाक्याती भूल की है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं हैं कि सरकारी भूमि या सरकार के प्राधिकरण के नाम भूमि खातेदारी में दर्ज हो तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उसमें से रास्ता नहीं दिया जा सकता बल्कि राज्य सरकार ने स्वयं परिपत्र जारी कर उक्त भूमियों में प्रचलित रास्तों को नक्शों में अंकित करने आदि का आदेश दिया है। इसके बावजूद भी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि कृषि भूमि नहीं होना मानकर अपीलांट मंदिर मूर्ति का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड में किस्म बारानी 3 दर्ज है।राजस्व रिकार्ड में आवासीय दर्ज नहीं है, मात्र प्राधिकरण के नाम दर्ज होने से भूमि की परिभाषा नहीं बदल सकती, प्राधिकरण भी बतौर खातेदार दर्ज है। जिसमें से रास्ता देना प्रतिबंधित नहीं है। अपीलांट ने मंदिर मूर्ति ने अपनी खातेदारी भूमि में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता चाहा था तथा गिरदावर व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 में अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1342, 1343, 1344, 1345 पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं होना व खसरा नम्बर 1324 जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होकर उस पर कच्ची सडक जो राजस्व नक्शे में अंकित होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं साथ ही उक्त कच्ची सडक के सहारे पत्थरों की कच्ची दीवर बना रामलाल व उसका परिवार काबिज होना अंकित किया, इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1324 में आवागमन का सदायंती रास्ता है तथा उस पर अतिक्रमण है, परंतु उक्त कच्ची सडक को अनदेखा कर व अतिक्रमी को प्रोत्साहित करने व उसे संरक्षण देने की नियत से उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर अपीलांट को अपनी खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होते हुए भी रास्ता उपलब्ध नहीं करा प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। राज्य सरकार ने दिनांक 30.9.2021 को परिपत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खातेदार को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता हो और अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हो तो सरकार या गैर मुमकिन भूमि में से उपखण्ड अधिकारी बाद जांच रास्ता स्वीकृत करे तथा जो ऐसी भूमियों पर पूर्व में रास्ते हैं उन पर कब्जा हैं उनका कब्जा हटावें व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो तो दर्ज करें। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को उक्त डोटेड रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित करना था व अतिक्रमण हटवा कर अपीलांट मंदिर को रास्ता उपलब्ध करावाना था परंतु ऐसा नहीं कर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को प्रावधानों व राज्य सरकार की मंशा व परिपत्रों के विपरीत जाकर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7 ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि पर यदि भविष्य में कोई टाउनप्लानिंग लाई जाती है उसमें उक्त रास्ता अडचन उत्पन्न कर सकता है। एवं उक्त भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज होने से कृषि भूमि नहीं होने के कारण उक्त रास्ता

प्रार्थी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उक्त भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1324 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है। मौके पर कच्ची सडक जो कि राजस्व नक्शे में रेखांकित अंकित है परंतु जमाबंदी में पृथक से कोई खसरा नम्बर अथवा रकबा दर्ज नहीं है के सहारे पत्थरों से कच्ची दीवार बना रखी है व रामलाल व उसका परिवार उस पर काबिज है। प्रकरण में दर्ज आराजी प्रार्थी की व्यक्तिगत खातेदारी भूमि ना होकर रिकार्ड अनुसार मंदिर श्री गोकल जी सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज हैं। मंदिर की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थना पत्र अनुसार दर्ज पुजारी के द्वारा वांछित रेकोर्डेड रास्ते के संबंध में अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त फरमाए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. हमने प्रकरण के गुणावगुण पर अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि पटवार हल्का बलवंता व आई0एल0आर0 बीर द्वारा बनायी गई मौका रिपोर्ट मे यह स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित आराजी पर आावगमन हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस से यह तथ्य सामने आता है कि प्रार्थी को रास्ते के अंत्यातिक आवश्कता है। जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आ चुका था कि खसरा नम्बर 1328 के खातेदार छोटू पुत्र लाला को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है का अंकन किया गया है जबकि छोटू विधिक वारिसान पूर्व से ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बतौर अप्रार्थी के रूप में संयोजित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग लघुत्तम अथवा दीर्घत्तम उपलब्ध है अथवा नहीं इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। राज्य सरकार के विभिन्न सर्कुलरो एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क में भी यह स्पष्ट है कि किसी काश्तकार को अपनी जोत तक कृषि एवं उससे संबंधित कार्य करने हेतु रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 में अधिनियम, 1955 की धारा 251–ए को प्रभाव देने के लिए बनाये गये नियम 69 में भी स्पष्ट किया गया है कि 1–आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है एवं 2–किसी अन्य खातेदार की जोत से हो कर नये रास्ते के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत कोई फाईडिंग अपने आदेश में नहीं दी अतः उपरोक्त कारणों का अभाव होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्धान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 11/2019 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2021 को निरस्त

किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में संबंधित सभी आवश्यक पक्षकारों को सयोजित कर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के उपनियम 69 की पालना करते हुए तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी स्वयं सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता/लघुतम रास्ता /केवल सुविधाजनक रास्ता ना हों एवं विशेष कर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव के बिन्दुओ की विवेचना करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 2.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर